राजस्थान (सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन) नियम, 1959

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ 285
2. निर्वचन 285
3. सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन 286
4. आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाना 286
5. आवंटन की शर्तें 287
6. सरकार द्वारा आवंटन 288

राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1985

(अधिनियम संख्या 4, सन् 1985)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अप्रेल, 1985 को प्राप्त हुई]

विभिन्न विधियों, नियमों, आदेशों, दस्तावेजों आदि में नाम "राजस्थान नहर" के स्थान पर नाम "इन्दिरा गांधी नहर" प्रतिस्थापित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** – (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1985 है।

(2) यह 9 नवम्बर, 1984 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. **राजस्थान नहर नाम का प्रतिस्थापन** – अभिव्यक्ति "राजस्थान नहर" जहां एवं जिस रूप में भी प्रयुक्त हुई हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "इन्दिरा गांधी" –

(i) तत्समय प्रवृत्त समस्त विधियों, नियमों, विनियमों, उप-विधियों, आदेशों, अधिसूचनाओं तथा शर्तों के विवरणों में प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) समस्त लिखतों, करारों, संविदाओं, अनुबन्धों, सनदों, पट्टा-विलेखों, समस्त अन्य दस्तावेजों तथा लम्बित कार्यवाहियों में पढ़ी जायेगी और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

3.**निरसन तथा व्यावृत्तियां** – (1) राजस्थान नहर (नाम प्रतिस्थापन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई सभी बातें या की गई कार्रवाइयां इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जायेंगी।

(3) इस अधिनियम की कोई बात राजस्थान नहर से, उसके नाम के प्रतिस्थापन के कारण, सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उपगत दायित्वों, किये गये कर्त्तव्यों, सृजित दायित्वों, प्रदत्त हकों, प्रोद्भूत अधिकारों, की गई कार्रवाइयों, किये गये कृत्यों, की गई नियुक्तियों अथवा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर या फीस पर प्रभाव नहीं डालेगी।

राजस्थान (सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन) नियम, 1959

[अधिसूचना सं. एफ. 2(17) राजस्व (बी) 59 दिनांक 20.05.1959 राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 16.07.1959 में प्रकाशित]

निम्नलिखित द्वारा यथा संशोधित :–

1. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 07.04.1960, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 07.04.1960 में प्रकाशित;
2. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 18.04.1960, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 25.05.1961 में प्रकाशित;
3. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 18.01.1961, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 06.04.1961 में प्रकाशित।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. XXVII) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के प्रयोग में और सरकारी भूमियों के आवंटन के लिए विद्यमान नियमों के उपान्तरण में राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामार्थ :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** – (1) इन नियमों को राजस्थान (सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन) नियम, 1959 कहा जा सकेगा।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **निर्वचन** – जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इन नियमों में –

(i) "**सहकारी सोसाइटी**" से ऐसी कृषि सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. IV) के अधीन गठित एवं रजिस्ट्रीकृत हो तथा जो 30 से अनधिक लेकिन 10 से कम नहीं, ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों से मिलकर बनी हो, जो उस ग्राम विशेष, जिसमें सहकारी समिति का गठन किया गया है, के निवासी हों या जो उस ग्राम में निवास करने का वचन देते हों, जिसमें इन नियमों के अधीन सोसाइटी को आवंटित भूमि स्थित है।

(ii) "**भूमिहीन व्यक्ति**" से वृत्तिका से सद्भाविक कृषक अभिप्रेत है, जो काश्त करता हो या जिससे काश्त करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो और जो काश्त करने के लिए स्वयं अपने नाम में या अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई भूमि धारित नहीं करता हो।

(iii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) में या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्ति, इन नियमों में जहां

कहीं भी प्रयुक्त हैं, का वही अर्थान्वयन किया जायेगा, जो उन्हें उक्त अधिनियमों में समनुदेशित किया गया है।

3. सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन – किसी तहसील के तहसीलदार को या किसी उपनिवेश में स्थित भूमि की दशा में सम्बन्धित उपनिवेशन अधिकारी को आवेदन करने पर किसी सहकारी समिति को निम्नलिखित मापमान पर भूमि आवंटित की जा सकेगी, अर्थात् :–

(i)	यदि सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं हो	एक सौ पचास एकड़ असिंचित भूमि
(ii)	यदि संख्या दस से अधिक किन्तु पन्द्रह से अधिक नहीं हो	दो सौ एकड़ असिंचित भूमि
(iii)	यदि संख्या पन्द्रह से अधिक किन्तु बीस से अधिक नहीं हो	दो सौ पचास एकड़ असिंचित भूमि
(iv)	यदि संख्या बीस से अधिक किन्तु पच्चीस से अधिक नहीं हो	दो सौ पिचहत्तर एकड़ असिंचित भूमि
(v)	यदि संख्या पच्चीस से अधिक किन्तु तीस से अधिक नहीं हो	तीन सौ एकड़ असिंचित भूमि

परन्तु यह कि जहां आवंटित की जाने वाली भूमि सिंचित तथा असिंचित दोनों हों, तो वहां सिंचित भूमि का एक एकड़, असिंचित भूमि के तीन एकड़ के बराबर समझा जायेगा :

परन्तु यह और कि इस नियम के आवंटन के प्रयोजनार्थ सहकारी सोसाइटी के ऐसे सदस्य जो एक ही कुटुम्ब के हैं, को एक सदस्य समझा जायेगा।

4. आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाना – इन नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों को सभी आवंटन तहसीलदार द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किया जायेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

[1][(i) राजस्थान विधानसभा का सदस्य, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में भूमि स्थित है;

(ii) पंचायत समिति, जिसकी आधिकारिता में भूमि स्थित है, का प्रधान या ऐसी समिति का कोई नामनिर्देशिती;

(iii) ग्राम पंचायत, जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है, का सरपच; और]

[2][(iv) पंचायत समिति, जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है, का विकास अधिकारी;]

(v) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई भूदान कार्यकर्ता;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 07.04.1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 18.01.1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

(vi) किसी विकास खण्ड में ग्रामों के स्थित होने की दशा में, खण्ड विकास अधिकारी।

आवंटन पंचायत मुख्यालयों पर मजमा-ए-आम (साधारण बैठक) में किया जायेगा। तहसीलदार एवं सलाहकार समिति के सदस्यों के आने की तारीख, कम से कम एक सप्ताह पूर्व ग्राम में अधिसूचित की जायेगी। भूमिहीन काश्तकारों के आवेदनों की संवीक्षा इस बैठक में की जायेगी, जिसमें सहकारी विभाग का एक अधिकारी भी उपस्थित होगा। ऐसी संवीक्षा के उपरान्त उसी समय तहसीलदार सहकारी विभाग के अधिकारी को आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची सुपुर्द्द करेगा, जो वहीं पर सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

[1][यदि सलाहकार समिति के सदस्यों एवं तहसीलदार के मध्य कोई मत भिन्नता है, तो तहसीलदार मामले को विनिश्चय के लिए कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा।]

5. आवंटन की शर्तें – इन नियमों के अधीन किसी सहकारी सोसइटी को भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :-

(1) आवंटन पच्चीस वर्षों की कालावधि के लिए पट्टे पर होगा, जो सहकारी सोसाइटी के विकल्प पर पच्चीस वर्षों की और कालावधि के लिए नवीनीकरण के योग्य होगा।

(2) आवंटन भूमि पर लागू स्वीकृत लगान की दरों पर लगान के संदाय के अध्यधीन होगा तथा भूमि किसी उपनिवेश में होने की दशा में, प्रीमियम एवं सुधार प्रभार, यदि कोई हों, का संदाय सहकारी सोसाइटी द्वारा किया जायेगा और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. XXVII) एवं राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 के प्रावधान लागू होंगे।

(3) सहकारी सोसाइटी को आवंटन के एक वर्ष के भीतर आवंटित भूमि का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, आवंटन के दो वर्ष के भीतर कम से कम पचास प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष एवं पश्चात्वर्ती वर्षों में सम्पूर्ण काश्तयोग्य क्षेत्र को काश्त करना होगा।

(4) किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना राज्य सरकार द्वारा भूमि पुनर्ग्रहीत कर ली जायेगी (क) यदि इसे उप-नियम (3) के अनुसार दृढ़तापूर्वक काश्त के अधीन नहीं लाया गया है या (ख) यदि इसे समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है या (ग) यदि इसे उप-पट्टे पर दे दिया गया है या किसी अन्य रीति से अन्तरित कर दिया गया है या (घ) यदि सहकारी समिति असफल हो जाती है या समापन में चली जाती है :

परन्तु यह कि सहकारी सोसाइटी आवंटित भूमि के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का राजस्थान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक या [2][जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक,] किसी सहकारी बंधक भूमि बैंक के पास उस पर ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए साधारण बंधक कर सकेगी।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 07.04.1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6(48) राजस्व बी/60, दिनांक 18.04.1960 द्वारा अन्तःस्थापित।

(5) सहकारी सोसाइटी को भूमि पर विद्यमान कुंओं तथा स्थायी संनिर्माण संरचनाओं, यदि कोई हों, का मूल्य तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 80 एवं 81 के प्रयोजनों के लिए विहित दरों पर भूमि पर उगे हुए पेड़ों का मूल्य राज्य सरकार को संदत्त करना होगा।

(6) सहकारी सोसाइटी काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (19) में यथापरिभाषित सुधार की परिभाषा के अधीन आने वाले भवन से अन्यथा आवंटित भूमि पर किसी स्थायी संनिर्माण या भवन का निर्माण नहीं करेगी।

(7) सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य को आवंटित भूमि में कोई व्यक्तिगत खातेदारी या गैरखातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे।

6. सरकार द्वारा आवंटन – किसी रेलवे की बाड़ के सौ गज के भीतर स्थित भूमि के आवंटन, जयपुर शहर के दस किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित भूमि के आवंटन तथा नियम 3 द्वारा नियत अधिकतम सीमा से अधिक के आवंट के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की अपेक्षा होगी, जिसके लिए तहसीलदार सलाहकार समिति के परामर्श में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।